न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 49/2024/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांकः 20.05.2024
अन्तर्गत धाराः 7(3) राजस्थान गौवंशीय अधिनियम, 1995

उनवान

केदार सिंह तंवर पुत्र मांगीलाल जाति तंवर निवासी हिनोती पोस्ट पिपलोड़ी, थाना कालीपीठ, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झालावाड
2. थानाधिकारी थाना भालता, जिला झालावाड (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृज बिहारी गोचर, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.03.2025

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा मिसल सं0 21/प्रा0पत्र/22 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम केदार वगे0 अन्तर्गत प्रथम सूचना सं0 21/2022 थाना भालता जुर्म अन्तर्गत 5, 6, 8, 9 क राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए वास्ते सुपुर्दगी वाहन संख्या एम.पी. 39 जी 3335 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2022 के विरूद्ध यह अपील राज0 गोवंशीय अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस थाना भालता द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5, 6, 8, 9 के जुर्म में अपीलांट का वाहन संख्या एम.पी. 39जी 3335 को जप्त किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए वास्ते सुपुर्दगी वाहन संख्या एम.पी. 39 जी 3335 का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा थानाधिकारी भालता द्वारा जप्त वाहन बोलेरो पिकअप एम. पी. 39 जी 3335 को निर्णय दिनांक 05.05.2022 से सशर्त अपीलांट/प्रार्थी को सुपुर्दगी के आदेश दिये गये कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज संबंधित थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 05.05.2022 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 7(3) राजस्थान गौवंशीय अधिनियम, 1995 में अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों व कानूनी सिद्धान्तो को नजरअन्दाज कर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से यह भलीभांति स्पष्ट था कि अपीलान्ट मात्र किराये पर अपनी गाड़ी लेकर गया था तथा पशु स्वामी के निर्देशानुसार पशुओं का परिवहन कर रहा था तथा अपीलान्ट द्वारा अपने वाहन में पशुओं के खड़े रहने के लिये पूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। पशुओं के हवा, रोशनी के लिये भी उक्त वाहन में समुचित व्यवस्था थी, किसी भी पशु के स्वास्थ्य को कोई खतरा नही था तथा जांच के दौरान कोई भी पशु अस्वस्थ नही पाया गया। अपीलान्ट द्वारा केवल परिवहन का कार्य किया गया था पुलिस द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध झूठा मामला बनाया गया है तथा अपीलान्ट के अनपढ़ होने से उसे जबरन खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये गये, जबकि अपीलान्ट द्वारा कोई बयान आदि नही दिये गये है। इस कारण उक्त पशुधन का अपीलान्ट द्वारा अवैध परिवहन नही किया जा रहा था तथा वाहन की क्षमता के अनुसार ही पशुधन का परिवहन किया गया था तथा अपीलान्ट का उक्त पशुधन से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नही है। उक्त वाहन अपीलान्ट की आजीविका का एकमात्र साधन है तथा उक्त वाहन लगभग 5 माह से थाना भालता पर खड़े रहने से प्रार्थी व उसके परिवारजन के समक्ष भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा लम्बे समय तक वाहन के खड़े रहने से वाहन के पार्ट्स व मशीनरी खराब होने की भी पूर्ण संभावना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया बीमा पॉलिसी में अंकित वाहन की कीमत के बराबर जुर्माना अत्यधिक व अव्यावहारिक है, जिसे जमा कराने में अपीलान्ट पूर्णतया असक्षम है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया तथा उक्त आदेश की नकल प्रार्थी को दिनांक 09.06.2022 को प्राप्त हुई है, इसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा अपील पेश की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय जैर अपील निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट का वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या MP39-G-3335 को रिलीज किया जाकर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा फरमावें।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट मात्र किराये पर अपनी गाड़ी लेकर गया था तथा केवल परिवहन का कार्य किया गया था। उक्त पशुधन का अपीलान्ट द्वारा अवैध परिवहन नही किया जा रहा था तथा वाहन की क्षमता के अनुसार ही पशुधन का परिवहन किया गया था तथा अपीलान्ट का उक्त पशुधन से किसी प्रकार

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

का कोई सम्बंध नही है। उक्त वाहन अपीलान्ट की आजीविका का एकमात्र साधन है तथा उक्त वाहन लगभग 5 माह से थाना भालता पर खड़े रहने से प्रार्थी व उसके परिवारजन के समक्ष भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा लम्बे समय तक वाहन के खड़े रहने से वाहन के पार्ट्स व मशीनरी खराब होने की भी पूर्ण संभावना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया बीमा पॉलिसी में अंकित वाहन की कीमत के बराबर जुर्माना अत्यधिक व अव्यावहारिक है, जिसे जमा कराने में अपीलान्ट पूर्णतया असक्षम है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय जैर अपील निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट का वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या MP39-G-3335 को रिलीज किया जाकर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा फरमावें।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ का निर्णय विधिसम्मत एवं न्यायोचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुलिस थाना भालता द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5, 6, 8, 9 के जुर्म में अपीलांट का वाहन संख्या एम.पी. 39जी 3335 को जप्त किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए वास्ते सुपुर्दगी वाहन संख्या एम.पी. 39 जी 3335 का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा थानाधिकारी भालता द्वारा जप्त वाहन बोलेरो पिकअप एम.पी. 39 जी 3335 को निर्णय दिनांक 05.05.2022 से सशर्त अपीलांट/प्रार्थी को सुपुर्दगी के आदेश दिये गये कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज संबंधित थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे। अपील प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि पशुधन का अपीलान्ट द्वारा अवैध परिवहन नही किया जा रहा था तथा वाहन की क्षमता के अनुसार ही पशुधन का परिवहन किया गया था तथा अपीलान्ट का उक्त पशुधन से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नही है। उक्त वाहन अपीलान्ट की आजीविका का एकमात्र साधन है तथा उक्त वाहन लगभग 5 माह से थाना भालता पर खड़े रहने से प्रार्थी व उसके परिवारजन के समक्ष भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा लम्बे समय तक वाहन के खड़े रहने से वाहन के पार्ट्स व मशीनरी खराब होने की भी पूर्ण संभावना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया बीमा पॉलिसी में अंकित वाहन की कीमत के बराबर जुर्माना अत्यधिक व अव्यावहारिक है, जिसे जमा कराने में अपीलान्ट पूर्णतया असक्षम है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

7 अपीलांट के उक्त तर्क के संबंध में हस्तगत अपील प्रकरण में हमारा यह अभिमत है कि जप्त उक्त वाहन अपीलार्थी की आजिविका का साधन मात्र है तथा अत्याधिक लम्बे समय तक वाहन के खड़े रहने की स्थिति में पार्ट्स व मशीनरी के खराब होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति के मध्यनजर सहज न्याय के दृष्टिगत, न्यायहित में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ द्वारा प्रकरण में पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 05.05.2022 को आंशिक रूप से इस आशय के साथ संशोधित किया जाकर थानाधिकारी चेचट को जप्त वाहन को इस शर्त पर अपीलार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दौराने लम्बित प्रकरण, वाहन सं0 एम.पी. 39 जी 3335 को खुर्दबुर्द अथवा बेचान नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर आवश्यक रूप से तत्काल संबंधित न्यायालय में पेश होगा एवं अपीलांट यदि उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत की 50 प्रतिशत राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित दस्तावेज थानाधिकारी, थाना भालता के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन अपीलार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे। राशि जमा नहीं कराने एवं उक्त आदेश की पालना नहीं करने की दशा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ का निर्णय दिनांक 05.05.2022 यथावत रहेगा। थानाधिकारी, थाना भालता को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

8 निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा